न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2014RAAJodhpur223RTA079 Mangilal n ors Vs Mularam etc

1. मांगीलाल पुत्र सादुलराम जाट
2. दीपाराम पुत्र सादुलराम जाट
3. गंगाराम उर्फ मानाराम पुत्र सादुलराम जाट
4. जेठाराम पुत्र सादुलराम जाट
5. बिडदाराम पुत्र सादुलराम जाट
6. श्रीमती लाबूदेवी पत्नी सादुलराम जाट

निवासीगण ग्राम गोदेलाई, तहसील बालेसर(शेरगढ)
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मूलाराम पुत्र जैताराम जाट
2. श्रीमती रूपी पत्नी जैताराम जाट
3. किशनाराम पुत्र रूपाराम जाट
4. हरजीराम पुत्र रूपाराम जाट
5. श्रीमती गैरोदेवी पत्नी रूपाराम जाट

निवासीगण चामूं, तहसील बालेसर(शेरगढ)
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर, बालेसर दिनांक 31 अक्तूबर 2014 राजस्व वाद संख्या 114/2011 उनवान मूलाराम वगैरह बनाम मांगीलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री ईश्वरसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री रूधाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 31 अक्तू., 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2011 मूलाराम व अन्य बनाम मांगीलाल आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 अक्तूबर 2014 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा में दिनांक 03 दिसम्बर 2014 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा स्थित आराजी खसरा संख्या 2351/2803 रकबा 107 बीघा 04 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेघाज्ञा का एक दावा पेश किया और जाहिर किया कि उक्त आराजी में वादीगण के दादा उदाराम पुत्र भोमाराम का ⅓ हिस्सा, मनाराम, चिमाराम पिसरान लिछमणराम का ⅓ हिस्सा तथा जिया पुत्र सायबा, राजू, पन्ना, रुघनाथ, पिसरान अन्ना का ⅓ हिस्सा था; दादा उदारामजी के देहान्त के बाद उनके हिस्से की भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 769 वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज कर दी गयी, मगर बाद में संवत 2038-2041 की जमाबंदी तैयार करते समय म्युटेशन संख्या175 का हवाला देते हुए और वादीगण के दादा उदाराम को जीवित बताते हुए वादीगण के दादा "देदाराम" का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के पिता सादुलराम पुत्र देराजराम दर्ज कर दिया गया। अपने वादपत्र में वादीगण-रेस्पो. ने यह भी वर्णित किया कि म्युटेशन संख्या 175 में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति भी नहीं है तथा उक्त म्युटेशन संख्या 175 लगभग सन् 1968 में स्वीकृत किया गया था, मगर जमाबंदी में उसका हवाला करीब 10-12 वर्षो के बाद दिया गया, इस प्रकार उक्त इंद्राज परिवर्तन बिना किसी विधिक आधार के किये गये है, जो गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

और निष्प्रभावी है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया और बताया कि वादीगण-रेस्पो. के दादा का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा अवश्य था, किन्तु संवत 2023 फाल्गुन शुक्ल पंचमी को वादीगण-रेस्पो. के दादा द्वारा राशि रूपये 700/- बतौर प्रतिफल लेकर अपना सम्पूर्ण हिस्स कानूनी एवं भौतिक तौर पर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पिता सादूलराम पुत्र देराजराम को कर दिया, जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 74 दिनांक 30 जनवरी 1968 ग्राम पंचायत चामू द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने काउण्टर क्लेम पेश कर वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुरोध किया।

दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और उभय पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 अक्तूबर 2014 को वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होरक प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि **वक्त सेटलमेण्ट पर्चा लगान में अपीलाण्ट्स के पिता सादुलराम का नाम भी वादग्रस्त आराजी बाबत बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ था,** मगर सेटलमेण्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की भूल से खतौनी बंदोबस्त तथा उसके बाद के राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ, जबकि जागीर के समय से ही अपीलाण्ट्स के पिता सादुलराम भी उक्त भूमि का लगान तत्कालीन जागीरदार को अदा करते आये थे और वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनका कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार रहा है। जागीरी अधिग्रहण होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट्स के पिता वादग्रस्त आराजी के ⅓ हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत उन्हें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है। इसके विपरीत रेस्पो. के दादा उदा पुत्र भीमा का उक्त आराजी पर जागीर अधिग्रहण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय कोई कब्जा नहीं रहा है। मात्र सेटलमेण्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती के कारण वादग्रस्त आराजी के ⅓ हिस्से बाबत राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज हो गया, तो उसनमे अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्ट्स के पिता सादुल पुत्र देराज का हक व अधिकार मानते हुए उक्त ⅓ हिस्सा बाबत बेचान निष्पादित कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 174 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30 जनवरी 1968 को स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार कानूनन अपीलाण्ट्स के पिता वादग्रस्त आराजी के ⅓ हिस्से बाबत खातेदार हो गये। मौके पर कब्जा काश्त प्रारम्भ से ही अपीलाण्ट्स के पिता का ही कायम था। मात्र राजस्व रिकार्ड में सेटलमेण्ट कर्मचारियों की भूल के कारण वादीगण-रेस्पो. के दादा उदा का नाम वादग्रस्त आराजी के ⅓ हिस्से बाबत आ जाने के कारण, कालान्तर में उदा के देहान्त पर म्युटेशन संख्या 445 भरा जाकर उदा के पुत्र का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ और राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत 2059-2062 तक अपीलाण्ट्स के पक्ष में राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात होते रहे। अपनी बहस जारी रखते हुए अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पक्षकारान ने आपसी सहमति से बंटवारा करके तहसीलदार शेरगढ ने अपीलाण्ट के पिता सादुलराम के नाम अलग से खातेदारी दर्ज की तथा खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2351/2803 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदार अपीलाण्ट के पिता सादुलराम पुत्र देराजराम के नाम कायम की गयी, अपीलाण्ट्स के पिता का देहान्त होने के बाद फौतेदगी म्युटेशन अपीलाण्ट्स के नाम स्वीकृत हुआ। मगर उक्त दोनों कार्यवाहियों के खिलाफ आदिनांक तक वादीगण-रेस्पो. द्वारा कोई उज्र-एतराज अथवा चाराजोई सक्षम न्यायालय में नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. के दादा उदाजी द्वारा अपीलाण्ट्स के पिता सादुलराम के पक्ष में निष्पादित बेचान को अपंजीकृत होने मात्र के शून्य करार देते हुए नहीं मानने में गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है, वादीगण-रेस्पो. की ओर से उक्त दस्तावेज को फर्जी होने संबंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है और न ही बेचानकर्ता के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में मात्र कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं होने के आधार पर शून्य करार दिये जाने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलाण्ट्स व उनके पिता सादुलराम का कब्जा निरन्तर बिना किसी रोक-टोक के चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में विकल्प में मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उन्हें वादग्रस्त भू-भाग बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यह भी तर्क है कि मामले में तनकी संख्या एक आराजी खसरा संख्या 2351/2803/02 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करने बाबत कायम की गयी थी, मगर इस तनकी का निस्तारण करते समय रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा ही घोषणा की गयी, रकबे में बदलाव का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया,इस कारण इस तनकी संख्या एक का निर्णय दावे एवं कायम तनकी के अनुसार नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी कथन किया कि खसरा गिरदावरी संवत 2013 से संवत 2028 तक में वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट्स के पिता का नाम दर्ज है और कब्जा भी अपीलाण्ट्स के पिता का ही दर्शाया गया है। साथ ही यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता पेशी-दर-पेशी उपस्थित होते रहे, इसके उपरान्त भी दिनांक 10 जून 2014 को अदम हाजरी दर्शाते हुए इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है बाकी की कार्यवाही इकतरफा के आदेश जारी कर दिये गये। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि दावा खारिज होने लायक कोई भी आधार अपील में नहीं लिया गया है। वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2351/2803 रकबा 107 बीघा 04 बिस्वा वक्त सेटलमेण्ट वादीगण के दादा उदाराम पुत्र भोमाराम का ⅓ हिस्सा, मनाराम, चिमाराम पिसरान लिछमणराम का ⅓ हिस्सा तथा जिया पुत्र सायबा, राजू, पन्ना, रुघनाथ, पिसरान अन्ना का ⅓ हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। उदा पुत्र भौमा के हिस्से की भूमि को लेकर पक्षकारान में विवाद है। म्युटेशन संख्या 174 का जो आधार बेचाननामा बताया जा रहा है, वह 700/- रुपये प्रतिफल का होने के कारण पंजीबद्ध होना कानूनन आवश्यक है। विकय-विलेख एवं म्युटेशन में एक-तिहाई भाग बताया जा रहा है, 107 बीघा 04 बिस्वा भूमि का एक-तिहाई हिस्सा मात्र 35 बीघा 18 बिस्वा ही होता है, जबकि बंटवारे में 53 बीघ 17 बिस्वा दर्ज करवा ली। उक्त म्युटेशन लगभग सन् 1968 में स्वीकृत किया गया था, मगर जमाबंदी में उसका हवाला करीब 10-12 वर्षो के बाद दिया गया, इस प्रकार उक्त इंद्राज परिवर्तन बिना किसी विधिक आधार के किये गये है, जो गलत और निष्प्रभावी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य प्रकरण में मूल विवाद है कि क्या वास्तव में उदाराम के नाम वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी का एक-तिहाई हिस्सा दर्ज हुआ, वह सही दर्ज हुआ अथवा अपीलाण्ट्स के कथनानुसार उस हिस्से पर बहैसियत टीनेण्ट कब्जा अपीलाण्ट्स पक्ष का चला आ रहा था और **सेटलमेण्ट विभाग द्वारा पर्चा लगान में भी अपीलाण्ट्स पक्ष का ही नाम अंकित हुआ**,(जैसा कि अपील-मीमो के पद संख्या दो में अपीलाण्ट्स की ओर से अभिकथन किया गया है), बाद में भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूल के कारण सादुलराम की बजाय उदाराम का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया और इसकी जानकारी होने पर उदाराम के जीवनकाल में उससे बेचाननामा निष्पादित करवाया जाकर उसके आधार पर म्यटेशन संख्या 174 स्वीकृत करवाया गया, जिस म्युटेशन के आधर पर कालान्तर में राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त हिस्से बाबत उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। इस संबंध में अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स की ओर से प्रपत्र तीन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ पर्चा-लगान की छाया प्रति का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम चामू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खाता संख्या 289 खसरा संख्या 2351/2903 रकबा 107 बीघ 4 बिस्वा बारानी चारम बाबत जारी पर्चा-लगान में भोक्ता का नाम अमरसिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत भाटी साकिन देह जागीरदार तथा नाम कृषक के कॉलम में उदा पुत्र भोमा ⅓, पना चिमा पिसरान लिखमा ⅓, जीया पुत्र सायबा, राजू, पना, रूगनाथ पिसरान अना ⅓ दर्ज है। इससे जाहिर है कि पर्चा लगान में वादग्रस्त आराजी के काबिज काश्तकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैसियत से सादुल का नाम दर्ज नहीं है। द्वितीय आधार जो अपीलाण्ट्स अपने पक्ष में कथित बेचानामा बताते है, वह सौ रुपये से अधिक धनराशि के संव्यवहार का होने के कारण संबंधित नियमों के अनुसार उसका पंजीबद्ध होना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसके आधार पर जो म्युटेशन सन् 1968 में भरा गया, उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां संवत 2038-2041 की जमाबंदी में की गयी है अर्थात करीब 12-13 साल बाद ये इन्द्राज किये गये है। इन परिस्थितियों में उक्त तथाकथित विकय विलेख की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वभाविक है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक का निस्तारण न्यायोचित तौर पर वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में किया गया है।

तनकी संख्या एक के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या दो का निस्तारण बहक वादीगण-रेस्पो. एवं बरखिलाफ प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि करना नहीं पाया जाता है।

तनकी संख्या एक का विवेचन करने के दौरान ही तनकी संख्या तीन का स्वतः विवेचन हो चुका है और तथकथित विकय विलेख एवं बेचान संव्यवहार के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनाये गये रुख बाबत भी अदालत हाजा अपनी राय व्यक्त कर चुकी है। इसके उपरान्त भी यह दोहराया जाना प्रासंगिक होगा कि इस प्रकार के दस्तावेज को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज लेखक, निष्पादक, साक्षीगण (जिनकी साक्ष्य ऐसे दस्तावेज में दी गयी हो) आदि को न्यायालय में बतौर गवाह पेश किया जाना चाहिये, मगर आलौच्य प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसे गवाहान पेश नहीं किये गये। अतः तनकी संख्या तीन का निस्तारण उनके खिलाफ करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी संख्या एक से तीन का निस्तारण प्रतिवादीगण के खिलाफ हो जाने से तनकी संख्या चार आया प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, का निर्णय स्वतः ही प्रतिवादीगण के खिलाफ हो जाता है।

अपीलाण्ट्स का अधीनस्थ न्यायालय में जबाब और प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों में भी भारी विरोधाभास है। इसलिए अपील में उनके कथनों को मान्य नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 अक्तूबर 2014 यथावत रखे जाते है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. मांगीलाल पुत्र सादुलराम जाट 2. दीपाराम पुत्र सादुलराम जाट 3. गंगाराम उर्फ मानाराम पुत्र सादुलराम जाट 4. जेठाराम पुत्र सादुलराम जाट 5. बिडदाराम पुत्र सादुलराम जाट 6. श्रीमती लाबूदेवी पत्नी सादुलराम जाट निवासीगण ग्राम गोदेलाई, तहसील बालेसर(शेरगढ) जिला जोधपुर	ब ना म	1. मूलाराम पुत्र जैताराम जाट 2. श्रीमती रूपी पत्नी जैताराम जाट 3. किशनाराम पुत्र रूपाराम जाट 4. हरजीराम पुत्र रूपाराम जाट 5. श्रीमती गैरोदेवी पत्नी रूपाराम जाट निवासीगण चामूं, तहसील बालेसर(शेरगढ) जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर, बालेसर दिनांक 31 अक्तूबर 2014 राजस्व वाद संख्या 114/2011 उनवान मूलाराम वगैरह बनाम मांगीलाल इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 31अक्तूबर 2019 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह चम्पावत मिनजानिब अपीलाण्ट्स, अधिवक्तागण श्री रूघाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 अक्तूबर 2014 यथावत रखे जाते है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 31 अक्तूबर 2019 को जारी किया गया।

31/X/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर